



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना- 14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक: Q.A./68/2026/

/Accom. Sec.

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Dr. Naman Kumar Gupta, DM-1, CCM को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 06.02.2026 के आलोक में नियमानुसार प्रथम बदलाव के तहत, इन्हें पूर्व में आवंटित आवास संख्या New MDH-06 को रद्द करते हुए, आवास सं० Old MDH- 3/8 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास सं० Old MDH- 3/8 का अधिग्रहण के पश्चात् पूर्व में, आवंटित आवास सं० New MDH- 06 को अधीक्षण अभियंता (सिविल) को समर्पित करेंगे।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

नोट

1. **Residency Programme/ Tenure** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/अन्य प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का License Fee देय होगा।
2. एक माह के बाद से पूर्व की भेंटि (Basic + NPA) का 25% प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी देय होगा।

ह०/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना

दिनांक- 25/03/2026

ज्ञापांक:- Q.A./68/2026/ 22 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Dr. Naman Kumar Gupta, DM-1, CCM /निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना